

Advt. No. J.S.V. 2014-15/495

Executive Engineer (NW) II

IN THE HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI

(Original Company Jurisdiction)

IN THE MATTER OF THE COMPANIES ACT, 1956**AND****IN THE MATTER OF SECTIONS 391 - 394 OF THE COMPANIES ACT, 1956****COMPANY APPLICATION (M) NO. 12 of 2015****IN THE MATTER OF COMPREHENSIVE SCHEME OF AMALGAMATION****BETWEEN****M/s A. M. Bros. Fintrade Private Limited**

Applicant Company I/Amalgamating Company I

AND**M/s Dhanuka Finvest Private Limited**

Applicant Company II/Amalgamating Company II

AND**M/s Dhanuka Agritech Limited**

Applicant Company III/Amalgamated Company

NOTICE CONVENING THE MEETING OF THE EQUITY SHAREHOLDERS

Notice is hereby given that by an Order dated 21st January, 2015 pronounced on 20th February, 2015, the Hon'ble Company Judge of High Court of Delhi at New Delhi, has directed that meeting of the Equity Shareholders of Dhanuka Agritech Limited (Applicant Company III / Amalgamated Company), be convened and held, for the purpose of considering and if thought fit, approving, with or without modification(s), the arrangement embodied in the Comprehensive Scheme of Amalgamation between A.M. Bros. Fintrade Private Limited ('AMB') and Dhanuka Finvest Private Limited ('DFPL') and Dhanuka Agritech Limited ('DAL') and their respective Shareholders and Creditors (hereinafter referred to as the 'Scheme').

As directed, notice is hereby given that a meeting of the Equity Shareholders of the Amalgamated Company shall be held at Shri Purushottam Hindi Bhawan, 11, Vishnu Digambar Marg (Rouse Avenue), New Delhi-110002 on April 04, 2015 at 11:00 AM. The Equity Shareholders are requested to attend the meeting at the place and time above mentioned.

Copies of Notice, the Comprehensive Scheme of Amalgamation, the Explanatory statement under section 393 of the Companies Act, 1956 and form of Proxy can be had free of charge from the registered office of the Amalgamated Company at Dhanuka House, 861-862, Joshi Road, Karol Bagh, New Delhi-110005 or at the office of the Advocates of the Amalgamated Company i.e. Kunal Tandon, Tandon & Co., X-3, Green Park, Main, New Delhi- 110016 between 11 AM to 5 PM on all working days.

Persons entitled to attend and vote at the meeting, may vote in person or by proxy, provided that a proxy in the prescribed form, duly signed by Equity Shareholder of the Amalgamated Company are deposited at the Registered Office of the Amalgamated Company at Dhanuka House, 861-862, Joshi Road, Karol Bagh, New Delhi-110005 not later than 48 hours before the meeting. Forms of proxy can be had at the registered office of the Company.

The Hon'ble High Court has appointed Mr. Sunil Sharma as Chairman, and Ms. Sukhbir Kaur as Alternate Chairman of the said Meeting of the Equity Shareholders. The abovementioned Scheme, if approved by the meeting, will be subject to the subsequent approval of the Hon'ble Court.

Sd/-

Dated this 2nd day of March, 2015

Sunil Sharma
Court appointed Chairman

Mem
in ter
the E
Febr
chan
of U
Terri

Any
affer
regis
or ca
post
affid
and
DIRE
Sect
2013
publi
appli
the a
VAY
REG
GRE
For

Plac
Date

Add
Flat

W
to
ac
pc
cc
E
be
su
lo
as
wi
tic
ac
pe
W
th
ne
be
m
ar
ac
m
wl
let
in
nu

स्थान : कोलकाता

दिनांक : 03.03.2015 समय : अपराह्न 05.30 बजे

राकेश सेठी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली में (मूल कम्पनी क्षेत्राधिकार)

कम्पनी अधिनियम, 1956 के मामले में

तथा

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 391-394 के मामले में

कम्पनी आवेदन (एम) सं. 2015 का 12

मै. ए.एम. ब्रॉस. फिनट्रेड प्राइवेट लिमिटेड

आवेदन कम्पनी I/समामेलक कम्पनी I

तथा

मै. धानुका फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड

आवेदन कम्पनी II/ समामेलक कम्पनी II

तथा

मै. धानुका एग्रीटेक लिमिटेड

आवेदक कम्पनी III/ समामेलित कम्पनी के बीच समामेलन की योजना के मामले में
इक्विटी शेयरधारकों की बैठक आमंत्रण सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि 20 फरवरी, 2015 को घोषित आदेश तिथि 21 जनवरी, 2015 के एक आदेश द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली के माननीय कम्पनी न्यायाधीश ने निर्देश दिया है कि ए.एम. ब्रॉस, फिनट्रेड प्राइवेट लिमिटेड ('एएमबी') तथा धानुका फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड ('डीएफपीएल') तथा धानुका एग्रीटेक लिमिटेड ('डीएएल') तथा उसके संबंधित शेयरधारकों तथा क्रेडिटर्स के बीच समामेलन की व्यापक योजना (यहां के बाद "योजना" के रूप में वर्णित) में चिन्हित व्यवस्था पर संशोधन (नों) के साथ अथवा उसके बिना विचार कर तथा यदि उपरोक्त पाया गया तो उसे स्वीकार करने के उद्देश्य से धानुका एग्रीटेक लिमिटेड (आवेदक कम्पनी III/ समामेलित कम्पनी) के इक्विटी शेयरधारकों की बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया है।

निर्देश के अनुसार, एतद्वारा सूचित किया जाता है कि समामेलित कम्पनी के इक्विटी शेयरधारकों की एक बैठक श्री पुरुषोत्तम हिंदी भवन, 11, विष्णु दिगम्बर मार्ग (राउज एवैन्यू), नई दिल्ली-110002 में 4 अप्रैल, 2015 को 11.00 बजे पूर्वा. में आयोजित की जाएगी। इक्विटी शेयरधारकों से अनुरोध है कि उपरोक्त स्थान तथा समय पर उक्त बैठक में उपस्थित हों।

सूचना, समामेलन की व्यापक योजना, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 393 के अंतर्गत व्याख्यात्मक विवरण तथा प्रॉक्सी प्रपत्र की प्रति सभी कार्य दिवसों को 11 बजे पूर्वा. से 5 बजे सायं के बीच धानुका हाउस, 861-862, जोशी रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 में समामेलित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय अथवा समामेलित कम्पनी के अधिवक्ताओं के कार्यालय अर्थात् कुपाल टंडन एंड क., X-3, ग्रीन पार्क मेन, नई दिल्ली-110016 से निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है।

बैठक में उपस्थित रहने तथा मतदान के लिए अधिकृत व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अथवा प्रॉक्सी द्वारा मतदान कर सकते हैं बशर्ते, समामेलित कम्पनी के इक्विटी शेयरधारक द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित निर्धारित प्रपत्र में प्रॉक्सी बैठक से कम से कम 48 घंटे पूर्व धानुका हाउस, 861-862, जोशी रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005 में समामेलित कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा कराई जाए।

माननीय उच्च न्यायालय ने इक्विटी शेयरधारकों की उक्त बैठक का अध्यक्ष श्री सुनील शर्मा को तथा वैकल्पिक अध्यक्ष सुश्री सुखवीर कौर को नियुक्त किया है। उपरोक्त योजना यदि बैठक में स्वीकृत होती है, बाद में माननीय न्यायालय की स्वीकृति के अधीन होगी।

हस्ता/-

सुनील शर्मा

न्यायालय द्वारा नियुक्त अध्यक्ष

तिथि 2 मार्च, 2015